लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्याः *52
जिसका उत्तर बुधवार, 01 दिसंबर, 2021 को दिया जाएगा
ओटीटी पर विज्ञापन

***52. श्री रंग आप्पा बारणे:**
श्री रवि किशन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञापन उद्योग विनियामक नामत: भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) का विचार ऐमजान, नेटफ्लिक्स इत्यादि जैसे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर विज्ञापनों की निगरानी करने एवं उन्हें विनियमित करने के लिए किसी कृतिक बल की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय इन प्लेटफार्मों पर विज्ञापनों की निगरानी करने हेतु दिशा-निर्देश एवं प्रक्रियाएं बनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एएससीआई मौजूदा दिशा-निर्देशों में सुधार कर उन्हें बेहतर बनाने तथा नए दिशा-निर्देश बनाने के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय जैसे सरकारी निकायों के साथ साझेदारी करके उनके साथ घनिष्ठता से कार्य भी कर रहा है और यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) क्या विनियामक निकाय का विचार स्वास्थ्य अथवा प्रतिरक्षा से जुड़े फायदों का दावा करने वाली विषय-वस्तु स्वरूपी प्रोग्रामिंग युक्त ब्रांड प्रोमोसंस की संवीक्षा करने के लिए किसी कृतिक बल की स्थापना करने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

<u>उत्तर</u>
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

‘‘ओटीटी पर विज्ञापन ’’ के संबंध में लोक सभा के दिनांक 01.12.2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *52 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

(क): इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) कंपनी अधिनियम (2013) के तहत गठित एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): इस मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ): लागू नहीं।

*****